न्यायालय,समाहर्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-95/2018-2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री नरेश कुमार साह, पिता-इन्द्रानन साह,
सा0-चिकनी (मेंहदीपुर), थाना-सोनामनी गुदाम,
जिला-अररिया .... विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1701/हि0शा0,दिनांक 05.10.2018) के आलोक में कुर्साकांटा (सोनामनी गुदाम) थाना कांड संख्या-284/17, दिनांक 08.12.2017, धारा-30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त हिरो गलैमर मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38K-0869, चेचिस नं0-MBLJA064MF9K14256, ईजन सं0-JA06EJF9K14302 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। कुर्साकांटा (सोनामनी गुदाम) थाना कांड संख्या-284/17, दिनांक 08.12.2017 के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त-1. नरेश कुमार साह, पिता-इन्द्रानन साह, सा0-चिकनी (मेंहदीपुर), थाना-सोनामनी गुदाम, जिला-अररिया के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक दिनांक 08.12.17 को शुक्रवार को समय 8.30 बजे रात्री सहायक अवर निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह, हवलदार बसंत सिंह, डी0ए0पी0 सिपाही 16 अखिलेश प्रसाद सिंह, डी0ए0पी0 सिपाही 294 राजकुमार, चालक गृहरक्षम सिपाही 40/217 झावरलाल मंडल एवं चौकीदार XII/1 मो0 माजीद आलम के साथ अपने थाना क्षेत्र में संध्या गश्ति के कम में डुब्बा टोला तेलनियाँ नदी पुल पर खड़ा था। समय 07.35 बजे नेपाल की ओर से आते हुए आपको रोका। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी 1. गणेशलाल सिंह, पे0-स्व0 अगमलाल सिंह तथा 2. रमानन्द सिंह, पे0-स्व0 अधीकलाल सिंह, दोनों सा0-डुब्बा टोला, वार्ड नं0-01, थाना-सोनामनी गुदाम, जिला-अररिया के समक्ष अपना तथा अपने साथी दल का तलाशी देते हुए विधिवत् तलाशी लेने पर हीरो काला ब्लू मोटर साईकिल संख्या- BR38K-0869 के डिक्की में 24(चौंबीस) बोतल उमंगा नेपाली देशी शराब प्रत्येक 300 एम0एल0 का बरामद हुआ। प्रत्येक बोतल पर UMANGA 70 UP, 300ML, BLNDED BOTTLED, GOLDEN GLOBE LIQUORS 2. Tankisinuwari, Morang nepal लिखा हुआ पाया गया। बरामद नेपाली देशी शराब कुल मात्रा 7.2 लीटर एवं हीरो काला ब्लू रंग का गलैमर मोटर साईकिल नं0-BR-38K-0869 उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया।	

अधिहरण वाद संख्या-95/2018-2019

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
.05.2019	बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप आपके विरूद्ध कुर्साकांटा (सोनामनी गुदाम) थाना कांड संख्या-284/17, दिनांक 08.12.2017, धारा-30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त हीरो गलैमर मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त हीरो गलैमर मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त हीरो गलैमर मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त हीरो गलैमर मोटर साईकिल का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त हीरो गलैमर मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार कुर्साकांटा (सोनामनी गुदाम) थाना कांड संख्या-284/17 में जब्त वाहन हीरो गलैमर मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38K-0869, चेचिस नं0-MBLJA064MF9K14256, ईजन सं0-JA06EJF9K14302 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1085/विधि, अररिया, दिनांक 31.5./2019 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया जिला न्यायालय, अररिया (बिहार)	